

(रा.श. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सिवागा मिला बालोतरा  
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम भलरो कावा की जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 176 में मेरा/हमारे नाम रमजुखा पुत्र एहमदखा

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम रमजान खान पुत्र अहमद खान हैं।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।

दिनांक :-

रमजानखान  
हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

प्रार्थी के आक्षार कार्ड के अनुसार रमजुखा पुत्र एहमदखा के स्थान पर रमजान खान पुत्र अहमद खान शुद्ध किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

Gcms-2025/615

आदेश

क्रमांक /श.शे.अ. / 1697

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम भलरो कावा की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 176 में रमजुखा पुत्र एहमदखा के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

रमजान खान पुत्र अहमदखान

की जाती है नगरपालिका रेकॉर्ड में आदि दरागद की कार्यवाही की जावे ।



तहसीलदार समदडी

तहसीलदार - समदडी  
दिनांक 17/10/25

कृपया को प्रतिकृति प्रदान  
उपखण्ड अधिकारी सिवागा  
सिवागा, बालोतरा